## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 263/2024

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र मन्शाराम जाति जाट साकिन सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मुलाराम पुत्र मलाराम जाति जाट साकिन सिरंगसर तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

**बनाम्**

1. रामलाल पुत्र बुधरराम जाति जाट साकिन सिरंगसर तहसील नोहर

**–असल गैरसायल**

2. पारीदेवी पत्नि मन्शाराम जाति जाट साकिन सिरंगसर तहसील नोहर
3. प्रमेश्वरी पुत्री मन्शाराम जाति जाट साकिन सिरंगसर तहसील नोहर
4. ज्याना देवी पुत्री मन्शाराम जाति जाट साकिन सिरंगसर तहसील नोहर
5. खिंवणी पुत्री मन्शाराम जाति जाट साकिन सिरंगसर तहसील नोहर
6. कोली देवी पत्नि मुलाराम जाति जाट साकिन सिरंगसर तहसील नोहर
7. गिरदावरी पुत्री मलाराम जाति जाट साकिन सिरंगसर तहसील नोहर
8. गंगा पुत्री मलाराम जाति जाट निवासी सिरगसर तहसील नोहर
9. कृष्णा पुत्री मलाराम जाति जाट साकिन सिरंगसर तहसील नोहर
10. साहबराम पुत्र मलाराम जाति जाट साकिन सिरंगसर तहसील नोहर
11. लिछमा पुत्री मलाराम जाति जाट साकिन सिरंगसर तहसील नोहर
12. निमा पुत्री बुधरराम जाति जाट साकिन सिरंगसर तहसील नोहर
13. शान्ति पुत्री बुधरराम जाति जाट साकिन सिरंगसर तहसील नोहर
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
15. पंजीयक कार्यालय उप तहसील रामगढ़ तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायलान**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

<u>निर्णय</u> दिनांकः 22/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता सं. 384/367 के ख.न. 1169 की 0.3290 हैक्टर भूमि ख.न. 1170 की 2.6820 हैक्टर भूमि कुल 2 खसरेजात की 3.0110 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें कान्हा पुत्र पुरखाराम के नाम 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार हे तथा रोही मौज ढ़ाणी रायकान तहसील नोहर के खाता सं. 274/289 के ख.न. 846 की 4.0470 हैक्टर भूमि ख.न. 847 की 0.1010 हैक्टर भूमि कुल 2 खसरेजात की 4.1480 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें कान्हाराम पुत्र पुरखाराम का 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा सिरगसर तहसील नोहर के खाता सं. 384/367 व रोही मोजा ढ़ाणी रायकान तहसील नोहर के खाता सं. 274/289 में गैरसायल [illegible] का 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:02:09 IST
Reason: SelfAttested

पुरखाराम पुत्र शेराराम के दो सन्तान [illegible]लाल व कान्हाराम [illegible] परन्तु वे लावल्द कंवारे ही फौत हो गये बुधराम के सन्ताने 6 वारिस[illegible] प्रथम श्रेणी के उतर[illegible] हुवें तथा वाद भूमि में 6 वारिसान प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है चुंकि गैरसायल सं. 1 चालाक एंव लालची किस्म का व्यक्ति है उसने परिवार के तथ्यों को छुपाते हुऐ मोहनलाल पुत्र पुरखाराम के हिस्सा की 14 बीघा भूमि अपनी पत्नि सजना के नाम अकेली के करवा दी जबकि

Rahul उपखण्ड अधिकारी नोहर

उक्त भूमि में बुधरराम के सभी वारिसान का 1/6.1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा कान्हाराम पुत्र पुरखाराम के नाम दर्ज दोनो खातेजात रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता सं. 384/367 के ख.न. 1169 की 0.3290 हेक्टर भूमि ख.न. 1170 की 2.6820 हैक्टर भूमि कुल 2 खसरेजात की 3.0110 हेक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि अर्थात 1.5055 हैक्टर भूमि तथा रोही मौज ढ़ाणी रायकान तहसील नोहर के खाता सं. 274/289 के ख.न. 846 की 4.0470 हेक्टर भूमि ख.न. 847 की 0.1010 हैक्टर भूमि कुल 2 खसरेजात की 4.1480 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि अर्थात 2.074 हैक्टर भूमि अर्थात दोनो खातेजात की कानाराम पुत्र पुरखाराम के नाम दर्ज भूमि में सायल सं. 1 व तरतीबी गैरसायलान सं. 2 ता 5 सयुक्ततः 1/6 हिस्सा, ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार है तथा सायल सं. 2 व तरतीबी गैरसायलान सं. 6 ता 10 सयुक्ततः 1/6 हिस्सा भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायल सं. 1 का 1/6 हिस्सा, गैरसायलान सं. 11 ता 13 प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा, भूमि के खातेदार काश्तकार है कान्हाराम पुत्र पुरखाराम का नाम कलमजन करवाकर उसके स्थान पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है उपरोक्त आशयों की सायलान घोषणा करवा पाने के अधिकारीं है। गैरसायल सं. 1 उक्त भूमि अपने नाम अकेले के अनुचित तौर से दर्ज करवापाने पर आमादा है गैरसायल सं. 1ने अपनी पत्नि सजना के मोहनलाल पुत्र पुरखाराम जो लावल्द कंवारा फौत हो गया उसकी भूमि बाला–बाला तरीके से अपने नाम अनुचित तौर से दर्ज करवा ली अब कान्हाराम पुत्र पुरखाराम के नाम दर्ज रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता सं. 384/367 की कुल 2 खसरेजात की 3.0110 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि अर्थात 1.5055 हेक्टर भूमि तथा रोही मौज ढ़ाती रायकान तहसील नोहर के खाता सं. 274/289 की कुल 2 खसरेजात की 4.1480 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि अर्थात 2.074 हैक्टर भूमि को अपने अकेले के नाम फर्जी दस्तावेजात तैयार करके अपने नाम करवाना चाहता है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति गैरसायल को होगी अत गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता सं. 384/367 की कुल 2 खसरेजात की 3.0110 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि तथा रोही मौज ढ़ाती रायकान तहसील नोहर के खाता सं. 274/289 की कुल 4.1480 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण स0 1 उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया मोहनलाल पुत्र पुरखाराम ने अपने सगे भतीजे राकेश को खोले ले रखा था तथा मोहनलाल की फौतदगी के बाद मोहनलाल के नाम दर्ज भूमि राकेश नाम दर्ज हो गयी तथा कान्हा राम की फौतदगी के बाद भी कान्हा के नाम दर्ज भूमि का वारिस राकेश ही हुआ परन्त राकेश भी लावल्द फौत हो गया एवं राकेश की फौतदगी के बाद उसकी माता सजना के नाम भूमि दर्ज हो गयी इसलिए बुधरराम के वारिसान का उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। उत्तरदाता स0 1 ने मोहनलाल के नाम भूमि को अपने नाम सही तौर से दर्ज करवाई है। प्रार्थीगण द्वारा गैरसायल को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:02:09 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों का निर्धारण

Rahul उपखण्ड अधिकारी नोहर

मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता सं. 384/367 की कुल 2 खसरेजात की 3.0110 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि तथा रोही मौज ढ़ाती रायकान तहसील नोहर के खाता सं. 274/289 की कुल 4.1480 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि कान्हा पुत्र पुरखा के नाम दर्ज है प्रार्थी व अप्रार्थी का कथन है कि कान्हा पुत्र पुरखा का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी का कथन है कि कान्हाराम के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा है जबकि अप्रार्थी का कथन है कि का कान्हाराम के भाई मोहनलाल द्वारा रामलाल के पुत्र राकेश को खोले लिया गया था एवं राकेश का देहान्त हो चुका है इसलिए अप्रार्थी स0 1 जो की राकेश का पिता है का कान्हाराम के नाम दर्ज भूमि में हक हिस्सा है प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नही है। उक्त वाद भूमि में अप्रार्थी स0 1 अकेले का हक हिस्सा है या बुधरराम के सभी वारिसान का हक हिस्सा है उक्त बिन्दु साक्ष्य सबूतों एवं तनकीआत के आधार पर मूल वााद में निर्णित किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म नही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता सं. 384/367 की कुल 2 खसरेजात की 3.0110 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि तथा रोही मौज ढ़ाती रायकान तहसील नोहर के खाता सं. 274/289 की कुल 4.1480 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि कान्हा पुत्र पुरखा के नाम दर्ज है, की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर [illegible] कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:02:09 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर